

प्रपत्र-2

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

क.सं.	परियोजना विवरण :-	
1	क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाडी से मनधूरा तक 3.00 किमी० मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।
	ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
	ग) परियोजना की लागत।	रु० 138.00 लाख
	घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	सुदूर एवं पिछड़े क्षेत्र के लिये यातायात की सुविधा हेतु मो०मार्ग का निर्माण
	ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	संलग्न है।
	च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	कृषि, दुग्ध एवं पर्यटन के आवागमन में वृद्धि होगी तथा रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे।
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:	प्रस्तावित मार्ग निर्माण हेतु सिविल भूमि-0.720 हैक्टेयर, आरक्षित वनभूमि - 0.00 हैक्टेयर, वन पंचायत भूमि 0.270 हैक्टेयर, (कुल वनभूमि-0.990 है०)वनभूमि
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई हों, क) परिवारों की संख्या	नहीं
	ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	नहीं
	ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	नहीं
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)	अभी मार्ग कच्चा बनना है आवश्यक हुआ तो डामरीकरण के समय पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरकवनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता(वचनवद्धता संलग्न की जाये)	संलग्न है।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।	अनुसूची संलग्न है।

दिनांक.....

स्थान.....

सहायक अभियंता  
निर्माण खंड, लो.नि.वि.सहायक अभियंता  
कपकोट

10/10/2020

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
कपकोट

आयशासी अधिकारी (परिपत्र-2020)  
निर्माण खंड, लो.नि.वि.  
कपकोट